प्रेस नोट **10.11.2022**

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.11.2022 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मिश्रौली रोड से थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत जमुनीपुर में मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 275/22 धारा 304 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सुबचन पुत्र हीरा निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एक अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.11.2022 का थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान धवरियासाथ तिराहे के पास से महताब आलम पुत्र मुनौवर अहमद निवासी रहीमाबाद लाला का पुरा खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 464/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 14 व्यक्ति तथा 04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.11.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा विजय कुमार, सोहनलाल निवासीगण प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिणटोला, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा रामविनय प्रजापति निवासी मो0बाद सिपाह थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा रामदरश, उमेश निवासीगण सम्मनपुरा, विजेन्द्र निवासी भुडसुडी, राजाराज यादव निवासी ढोलवन, पियूष सिंह निवासी नवलपुर रतोही थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा हर्ष यादव निवासी खजुरी थाना कोपागंज, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आकाश निवासी तुलसीपुर, संतोष निवासी सुरहुरपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सूरज राजभर निवासी सलाहाबाद, श्रवण कुमार निवासी कुशमौर थाना सरायलखंसी, थाना रामपुर पुलिस द्वारा सतेन्द्र कुमार निवासी दरियाबाद थाना रामपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा वारंटी अभियुक्तगण थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा श्रवण पुत्र लालचन्द्र निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा नन्दु यादव पुत्र सुदामा यादव निवासी जानकीघाट थाना दोहरीघाट, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अमन पुत्र हरिकेश निवासी ख्वाजाहांपुर थाना कोतवाली, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वृजनारायण पुत्र रामपत निवासी जुडनपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तारकर चालान न्यायालय किया गया।